न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—250/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/250)

1. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा
2. भगवानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत
   सर्व निवासी ग्राम दांतरी ग्राम पंचायत बोराडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. मोटाराम पुत्र रामकरण
2. हरिराम पुत्र लादू मृतक जरिए वारिसानः—
   2/1 ढेका पत्नि स्व0 हरिराम
   2/2 घीसालाल पुत्र हरिराम
   2/3 मीठालाल पुत्र हरिराम
   2/4 धोकलचंद पुत्र हरिराम
   2/5 गणेश पुत्र हरिराम
   2/6 महेन्द्र पुत्र हरिराम
3. छीतर पुत्र रघुनाथ
4. सोराज पुत्र काना
5. कालू पुत्र किशना
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दांतरी ग्राम पंचायत बोराडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

6. कैलाश पुत्र लखमा
7. कालू पुत्र मांगीलाल
8. कालू पुत्र चन्द्रा
9. श्रीमती गोकली पत्नि चन्द्र(फौत)
10. जमना पत्नि मांगीलाल
11. जसराज पुत्र लखमा
12. मीरा पत्नि मांगीलाल
13. रिद्वकरण पुत्र लखमा
14. लक्ष्मण पुत्र चन्द्रा
15. समोदरा पुत्री श्री शिवराज
16. सुखलाल पुत्र मांगीलाल
17. सुरजकरण पुत्र चन्द्रा
18. सांवरा पुत्र मांगीलाल
19. हस्तू पत्नि लखमा (फौत)
20. हंसराज पुत्र चन्द्रा
    समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम दांतरी ग्राम पंचायत बोराडा तहसील सरवाड जिला अजमरे।
21. श्रीमती भंवरकंवर पत्नि भूरसिंह मृतक जरिए वारिसः—
    21/1 हिम्मतसिंह दत्तक पुत्र भूरसिंह
22. मांगकंवर पत्नि रोडूसिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दांतरी ग्राम पंचायत बोराडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
23. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सरवाड जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 राजस्व वाद संख्या 59/2020.

उपस्थितः–

1. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री करणसिंह गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 से 2/6, 3 से 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 23
4. रेस्पोडेंट संख्या 6 से 8, 10 से 18, 20 से 22 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 11.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2020 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विरूद्ध अपीलांट व शेष तरतीबी रेस्पोडेंटस के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सरवाड अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के प्रार्थना पत्र को दिनांक 12.3.2020 को दर्ज किया तथा अपीलांट तथा तरतीबी रेस्पोडेंट पर नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किए। प्रकरण में दिनांक 27.10.2021 को आगामी पेशी 10.1.2022 नियत की गई थी किंतु उससे पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प में नियत कर प्रस्तावित रास्ते के बाबत तहसीलदार सरवाड से उसी दिन रिपोर्ट चाही और उसी दिन प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते को मंजूर कर अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंट के खातेदारी खसरा नम्बर 334 व 352 में से खसरा नम्बर 378 तक जाने वास्ते रास्ता प्रस्तावित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2020 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 6 से 8, 10 से 18, 20 से 22 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष जो प्रार्थना पत्र रेस्पो० स० 1 लगायत 5 द्वारा पेश किया गया था बो सर्वप्रथम संधारण योग्य ही नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने कृषि में आवागमन बाबत रास्ता नहीं चाहा था वे गैर मुमकिन शमशान की आराजी पर आवागमन बाबत रास्ता चाह रहे थे ऐसी स्थिति में जो अधिनियम की धारा 251–ए की मंशा है कि खातेदारो को उनकी जोतों तक आवागमन वास्ते सरल व निकटतम रास्ता उपलबध कराया जावे उक्त मंशा के विपरीत रेस्पो० स० 1 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र था जो मात्र अपीलांट तथा तरतीबी

रेस्पो० को परेशान करने की नियती से प्रस्तुत किया गया था उक्त विधिक तथ्यों को नजरअन्दाज कर जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी सरवाड ने पारित किया है वह निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष ना तो समस्त ग्रामवासी एकत्रित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है और ना ही ग्राम पंचायत बोराडा के सरपंच उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत कर रहे है जो प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष प्रस्तुत हुआ है वह कुछ असामाजिक तत्वो के व्यक्तियों द्वारा पेश किया गया है जिसमे ग्रामवासीयों की कोई सहमति या इच्छा प्रकट नहीं होती है और ना ही ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को प्रार्थी बनाया है जबकि आराजी खसरा नं0 378 ग्राम पंचायत आबादी है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी सरवाड ने तथ्यों के विपरीत जाकर कानून की मंशा को नहीं समझते हुए जो आदेश पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष प्रार्थना पत्र दर्ज होकर दिनांक 12.3.2020 को अपीलांट तथा तरतीबी रेस्पो० पर साधारण नोटिस जारी होने के आदेश हुए थे जो दिनांक 3.9.2020 को अदम तामील लौटे जिसके पश्चात प्रकरण अपीलांट तथा तरतीबी रेसपो० की तलबी में नियत था ऐसी स्थिति मे जब प्रकरण मे आवश्यक पक्षकारान की तलबी ही पूर्ण नहीं हुई थी तो उपखण्ड अधिकारी सरवाड को अपना निर्णय पारित नहीं करना चाहिए था उनके द्वारा पारित निर्णय प्रथम दृष्टया ही अपीलांट तथा तरतीबी रेस्पो० के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश है ऐसी स्थिति में उक्त एकपक्षीय आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जहां प्रार्थी अप्रार्थी से कुछ चाहता है या उसके विरूद्ध कोई कानूनी आदेश पारित करवाना चाहता है तो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त की अनुपालना में विरोधी पक्षकार को सुना जाना व अपने पक्ष सबंधी सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सरवाड ने ऐसा नहीं करके विधि के सुस्थापित सिद्वान्त नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नहीं की गयी है। लोक अदालत की भावना के अन्तर्गत ही प्रशासन गांवो के संग अभियान लगाया जाता है और लोक अदालत की भावना वहां मान्य होगी जहां पर पक्षकारान के बीच समझौता, राजीनामा, या विड्रो जैसे तथ्य हो, जहां पक्षकारान किसी प्रकरण को कानूनी प्रकिया के द्वारा लडना चाहते है वहां पर लोक अदालत या कैम्प कोर्ट की भावना से प्रभावी रूप से पक्षकारान के मध्य निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है जो कि उपखण्ड अधिकारी सरवाड ने न समझ कर लोक अदालत की परिभाषा के विरूद्ध जाकर अपना निर्णय पारित किया है ऐसे निर्णय विधि के पूर्णतया विपरीत होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी सरवाड ने कैम्प कोर्ट दिनांक 22. 11.2021 को ही तहसीलदार सरवाड से मौके की रिपोर्ट ली जिस रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के उपस्थिति के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान नहीं है। सन्देह से परे यह साबित होता है कि मात्र प्रकरण को निस्तारित करने के लिये एक ही दिन में मौका रिपोर्ट तैयार कर आनन–फानन में उपखण्ड अधिकारी सरवाड ने अपना निर्णय पारित किया है जो कि इस अपील के माध्यम से निरस्त योग्य है। यहां यह कहना नितान्त आवश्यक होगा कि अपीलांट तथा तरतीबी रेस्पो० के जिन खसरा नम्बरान (खसरा नं0 334, 352) में से रास्ता चाहा है यह दोनों खसरान अपीलांट व तरतीबी रेस्पो० की शामलाती कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है तथा मौके पर दोनों खसरान के मध्य

विभाजन रेखा नहीं होकर शामलाती में कृषि की जा रही है अगर उपखण्ड अधिकारी सरवाड के आदेश दिनांक 22.11.2021 की पालना होती है तो उक्त पालना के आधार पर अपीलाट व तरतीबी रेस्पो० के इन खसरो के मध्य से रास्ता गुजरेगा जो इन खसरान की उपजाऊ क्षमता को कम कर देगा वास्तविकता यह है कि खसरा नं0 378 में जाने के लिये समस्त ग्रामवासियान वर्षों से जिस रास्ते का उपयोग कर रहे है वह रास्ता खसरा नं0 322 से 328 उससे आगे 328 से 380 तथा 380 जो कि सिवायचक भूमि है, से होते हुए ग्रामवासियान खसरा नं0 378 में प्रवेश करते है कहने का आशय यह है कि वैकल्पिक व सुलभ रास्ता मौके पर मौजूद है और इसी का उपयोग समस्त ग्रामवासी कर रहे है ऐसी स्थिति मे अपीलोट/तरतीबी रेस्पो० के विरूद्ध जो आदेश विचारण न्यायालय ने पारित किया है इसी स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2020 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार के खाते में आबादी ग्राम पंचायत बोराडा के नाम दर्ज है एवं उक्त आराजीयात किस्म गै0मु0 शमशान है उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग समस्त ग्रामवासी अपने पूर्वजों के समय से मुर्दो को जलाने के लिए करते चले आ रहे है एवं उक्त आराजीयात ग्रामीणों के उपयोग एवं उपभोग में निरंतर एवं निर्बाध रूप से चली आ रही है। उपर वर्णित आराजीयात शमशान में जाने के लिए आराजीयात खसरा नम्बर आबादी भूमि ग्राम दांतरी के खसरा नम्बर 305 से होकर 336 की पुर्वी मेरे से होते हुए खसरा नम्बर 334 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 का खातेदारी खेत है एंव खसरा संख्या 352 जो कि प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 20 का खेत है एंव उक्त खसरा नम्बर की पूर्वी मेर के सहारे सहारे तकरीबन 20 फीट रास्ता खसरा नम्बर 378 शमशान भूमि में आने जाने का स्थित है एंव उक्त रस्ते से समस्त ग्रामवासी वर्षों से शमशान भूमि में आ जा रहे है एंव उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की आराजीयात की मेड से होकर गांव की बसावट के समय से ही चला आ रहा है। लेकिन अब अप्रार्थीगण की नियतबद्ध हो गयी है तथा रास्ता उसके खातेदारी में होने के कारण रास्ते को खुर्दबुर्द कर बन्द कर दिया है तथा अब ग्रामवासियों को उक्त रास्ते से नहीं निकलने दे रहा है जिससे गांव में किसी की मौत होने पर दाह संस्कार में परेशानी उतपन्न हो रही है एंव उसके पश्चात ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत बोराडा को एक लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया एंव ग्राम पंचायत द्वारा भी रास्ता खुलवाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली एंव उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एंव उक्त रास्ता सबसे सुगम एंव सरल रहा है एंव अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त वाद वर्णित रामशान भुमि में दाह संस्कार आदि कार्य के लिए गांव की बसावट के समय से ही उक्त रास्ते को उपयोग एंव उपभोग ग्रामीण करते चले आ रहे है। किन्तु अप्रार्थीगण जबरन मात्र लठ्ठ के बल पर ग्रामीणों को शमशान भूमि पर आने जाने में अपनी आराजी खसरा नम्बर 334, 352 की पुर्वी मेर के बीच में से 20 फीट रास्ता रास्ता है

जो शमशान भूमि के खसरा नम्बर पर जाता है इसको लेकर बाधा उतपन्न कर रहें हैं तथा रास्ते को बन्द कर देने से काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। ग्रामवासी उक्त रास्ते का उक्त आराजीयात में से उपयोग एंव उपभोग कर रहे है लेकिन उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी में होने से उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस में नहीं होने से अप्रार्थीगण इसका नाजायज फायदा उठाते हुए ग्रामीणों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है जिससे उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में किया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। उपर वर्णित शमशान भूमि की चारदीवारी एंव टिन शेंड के लिए सरकारी बजट पास हो रहा है लेकिन रास्ते के बन्द कर देने के कारण उक्त लोक हित का कार्य प्रभावित हो रहा है। दिनांक 15.01.2019 को ग्रामवासी एंव सरपंच बोराडा शमशान भूमि में जाने के रास्ते को खुलासा करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारी खातेदारी की आराजीयात है में रास्ते को बन्द करे या कुछ भी करे तुम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है यह कि दिनांक 15.01.2019 से उक्त वाद कारण उतपन्न हुआ एंव लगातार उत्पन्न हो रहा है एंव उक्त रास्ते में काम में ली जाने वाली भूमि की कीमत अदा करने बाबत निवेदन किया तो वे नहीं माना जिससे प्रार्थना पत्र आवश्यक एंव न्यायोचित हुआ। प्रार्थी ग्रामवासियों को शमशान भूमि में आवाजाही हेतु अप्रार्थीगण को इस हेतु 15 फीट रास्ते की कीमत अदा करने हेतु तैयार एवं तत्पर रहे है। जिससे नियमानुसार रिपोर्ट तलब फरमाया जाकर उक्त रास्ते हेतु ग्रामीणों को भूमि उपलब्ध करवाई जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में रास्ते को अमल दरामद करवाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2024(2)डीएनजे रेवे0 1364, 2024(2)डीएनजे रेवे0 1163, 2022(1)आरआरटी 342 प्रस्तुत किए है।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिए नोटिस किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 22.11.2021 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.3.2020 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए, परंतु उक्त नोटिस दिनांक 3.9.2020 को अदम तामील प्राप्त हुए उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

नोटिस तामीली की कहीं कोई जानकारी पत्रावली पर उपलबध नहीं है क्यों कि जब प्रकरण से संबंधित पक्षकारों की तामीली ही पूर्ण नहीं हुई है तो न्यायालय को इस बाबत उनकी तलबी जरिए साधारण नोटिस, जरिए रजिस्टर्ड एडी इसके पश्चात अखबार साया किए जाने के आदेश पारित किए जाने चाहिए थे जो उनके द्वारा अपनी आदेशिका में इस बाबत कहीं कोई अंकन नहीं है।

आराजी खसरा नम्बर 378 जिसकी किस्म गै0मु0 शमशान है वह उक्त आराजीयात आबादी ग्राम पंचायत बोरडा के नाम दर्ज है परंतु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना ही ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव को प्रकरण में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया जबकि राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 378 ग्राम पंचायत आबादी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया जब प्रकरण से संबंधित आवश्यक पक्षकार को ही पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। उक्त आराजीयात ग्राम पंचायत बोरडा के नाम दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव द्वारा रास्ते बाबत किसी प्रकार का कोई अनुतोष ही नहीं चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग अभियान में नियत किया जाकर निर्णय पारित किया गया परंतु लोक अदालत की भावना के अंतर्गत प्रशासन गांवों के संग उन्हीं प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान के मध्य समझौता या राजीनामा हो परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को एकपक्षीय रूप से निर्णित किया गया है। जो कि न्याय की मंशा के विपरीत है।

आई0एल0आर0 द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2021 को तैयार की गई व उपखण्ड अधिकारी सरवाड को उसी दिन प्रेषित भी की गई, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन प्रकरण में शीघ्रता से निर्णय पारित किया गया। जबकि उक्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण में से भी मात्र दो के ही हस्ताक्षर है जो वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 व 4 हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय किसी पक्षकार को कोई सूचना दी गई हो इस संबंध में पत्रावली में कहीं कोई दस्तावेज उपलबध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट पूर्ण रूप से एकपक्षीय है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 की पालना किए बगैर बनाई गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किए जाने से पूर्व इस बात का भी अवलोकन नहीं किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मंशा के तहत काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंच हेतु सुलभ रास्ता प्रदान करने की है परंतु उक्त खसरा नम्बर 378 जो कि गै0मु0 शमशान है वह कोई कृषि आराजीयात नहीं है, इसके बावजूद अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पोडेंटस की आराजीयात खसरा नम्बर 334 व 352 में से किस आधार पर दोनों खसरों में से लगभग 10, 10 फीट चौडा रास्ता प्रदान किए जाने के आदेश पारित किए गए इसका विवरण उनके द्वारा किए गए निर्णय में कहीं भी नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया

निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2020 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान की विधिवत तामील सुनिश्चित किए जाने के पश्चात उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसारण करते हुए व किस्म गै0मु0 शमशान हेतु रास्ता दिया जा सकता है या नहीं इस बिंदु का विश्लेषण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर